म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक–प्रांगण/विविध/15–16/359

भोपाल,दिनांकः 17/11/15

–:: परिपत्र::–

विषयः–प्रदेश की कृषि उपज मंडियों के प्रांगण/उपमंडियों के प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज के क्रय विक्रय के अतिरिक्त अन्य कार्य पर प्रतिबंध बावत्।

संदर्भः–मंडी बोर्ड के द्वारा जारी निर्देश क्रमांक–मंडी/8/प्रांगण/11/10/ब/851 दिनांक 11.06.1999
2– मंडी/8/प्रांगण/42/1/ब/1020 दिनांक 05.08.1999
3– मंडी/बी–4/3/1/ब/894–96 दिनांक 08.05.2001

----000----

विषय संदर्भ में मंडी बोर्ड द्वारा समय–समय पर मंडी समितियों को निर्देशित किया जाता रहा है, परन्तु यह देखने में अभी भी आ रहा है कि कतिपय् मंडी समितियों के प्रांगाण/उपमंडी प्रांगण में हाट बाजार लगाना, पटाखा बाजार लगाना, फोर्स को ठहराना, मवेशी बाजार, शादी ब्याह, धार्मिक कार्यो का आयोजन आदि करने की अनुमति प्रदान की जा रही है। जबकि म0प्र0 कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 4 के अन्तर्गत स्थापित मंडी/उपमंडी के प्रांगण में अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अधिसूचित कृषि उपज के क्रय–विक्रय कराये जाने का ही प्रावधान है।

कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण/उपमंडी प्रांगण का उपयोग अधिसूचित कृषि जिन्सों के क्रय–विक्रय के अलावा यदि अन्य प्रयोजनों हेतु किया जाता है तो इससे कृषकों को अपनी उपज विक्रय करने में तथा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को अपने वाणिज्यिक गतिविधियॉ संचालित करने में व्यवधान उत्पन्न होता है और मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए कराया जाना मंडी अधिनियम के विहित प्रावधानों के विरूद्ध है।

अतः पुनः आदेशित किया जाता है कि अधिसूचित कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में मंडी अधिनियम तथा उपविधियों में विहित प्रावधानों के तहत मात्र अधिसूचित कृषि उपजों के विपणन का कार्य ही सम्पादित कराया जावे। अन्य प्रयोजनों के लिए यदि मंडी समिति का प्रांगण/उपमंडी प्रांगण का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है तो संबंधित को उत्तरदायी मानकर उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं संबंधित से मंडी समिति को हुई क्षति की पूर्ति उनके वेतन/भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक–प्रांगण / विविध / 15–16 / 360 भोपाल,दिनांकः 17/11/15

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित।

1– अतिरिक्त मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, म0प्र0 शासन, मंत्रालय भोपाल।

2– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

3– कलेक्टर .... (समस्त)।

4– अपर संचालक (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

5– मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण यंत्री / संयुक्त संचालक (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

6– संयुक्त संचालक / उप संचालक (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ... . ।

7– अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी समिति .... जिला ....

8– सचिव, कृषि उपज मंडी समिति .... जिला ....

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल